रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042025-262327 CG-DL-E-07042025-262327

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2025/चैत्र 17, 1947

No. 181]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2025/CHAITRA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

सं. 02/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.िन. 220(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पिठत वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "13 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "10 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- 2. यह अधिसूचना 8 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 190349/6/2025 -टीआरयू)]

धीरज शर्मा. अवर सचिव

2395 GI/2025 (1)

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.िन. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 3/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2022, संख्या सा.का.िन. 491(अ), तारीख 30 जून, 2022 द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2025

No. 02/2025-Central Excise

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sl. No. 1, in column (4), for the entry, the entry "Rs. 13 per litre" shall be substituted;
- (ii) against Sl. No. 2, in column (4), for the entry, the entry "Rs. 10 per litre" shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force on the 8th day of April, 2025.

[F.No.190349/6/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note. - The principal notification No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 488(E), dated the 6th July,2019 and last amended *vide* notification No. 03/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, *vide* number G.S.R. 491(E), dated 30th June, 2022.